रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072024-255176
CG-DL-E-04072024-255176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/आषाढ 13, 1946
No. 342] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ASHADHA 13, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 365(अ).— केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के साथ पठित धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, को जिसे एतद्वारा इससे प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि सरकारी राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा ;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव, हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और व्यावृत्तियां-

(1) इन नियमों का नाम दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि) नियम, 2024 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

(3) ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 523 से नियम 527 का अधिक्रमण करेंगे, परन्तु ऐसी व्यवस्था की समाप्ति की तिथि तक उन नियमों के तहत मौजूदा व्यवस्थाओं की निबंधनों एवं शर्तों का लंघन नहीं करेंगे।

2. परिभाषाएँ.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "**अधिनियम**" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "**प्रशासक**" से डीबीएन के प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त डीबीएन का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ग) "**करार**" से प्रशासक और डीबीएन के एक या अधिक कार्यान्वयनकर्ता के बीच डीबीएन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से योजनाओं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया संविदात्मक करार अभिप्रेत है;

(घ) **"आवेदन"** तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर आमंत्रित प्रस्तावों के माध्यम से डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता का चयन करने की एक प्रक्रिया है;

(ङ) **"बोली"** प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी मानक पद्धति का पालन करके बोलियां प्राप्त करके वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद या कार्यों के निष्पादन के लिए डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता का चयन करने की एक प्रक्रिया है;

(च) "**डीबीएन**" से इस अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित डिजिटल भारत निधि अभिप्रेत है;

(छ) **"डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता"** से ऐसे व्यक्ति जिसके साथ प्रशासक ने कोई समझौता किया है अभिप्रेत है; और

(ज) **"उद्देश्य"** से अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत खंड (क) से (घ) में उल्लिखित कोई भी या सभी उद्देश्य अभिप्रेत हैं।

(2) जो इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद हैं और उसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

3. प्रशासक की शक्तियाँ और कार्य

(1) डीबीएन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासक नियम 7(1) में निर्धारित बोली लगाने या पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से या नियम 7(2) में निर्धारित नामांकन की प्रक्रिया के माध्यम से डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन करेगा।

(2) प्रशासक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे: -

(क) निबंधनों एवं शर्तों सहित बोली लगाने की प्रक्रियाएँ, आवेदन का प्रारूप, पात्रता मानदंड और ऐसी बोली के अनुसरण में डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं के चयन के लिए मूल्यांकन मानदंड तैयार करना।

(ख) डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया तैयार करना;

(ग) डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं के साथ करार करना;

(घ) दावों का निपटारा करना तथा डीबीएन से डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता को निधि संवितरित करना;

(ङ) समझौते में की गई व्यवस्था के अनुसार मध्यस्थता, मध्यस्थम, सुलह या न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता के साथ विवादों का निपटारा करना;

(च) किसी तीसरे पक्ष की एजेंसियों सहित किसी सक्षम निकाय के माध्यम से डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता द्वारा किए गए कार्य की निगरानी, मूल्यांकन या सत्यापन करना;

(छ) डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता द्वारा बनाए रखे जाने तथा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूपों सहित प्रक्रियाओं और अभिलेखों को विनिर्दिष्ट करना;

(ज) स्कीमों और परियोजनाओं की योजना, निर्माण, अनुबंध प्रबंधन, मध्यावधि समीक्षा, सत्यापन, निगरानी, वित्तपोषण, मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और प्रबंधन के उद्देश्य से परामर्शदाता, सलाहकार या इकाई सहित कार्मिकों को नियुक्त करना;

(झ) डीबीएन से वितरित निधियों से निर्मित परिसंपत्तियों से संबंधित निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) डीबीएन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पायलट अध्ययन करना;

(ट) डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य हितधारकों को सेवाएं प्रदान करने, संपर्क, रिपोर्टिंग और निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाना; और

(ठ) केंद्र सरकार द्वारा डीबीएन के उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कार्य करना।

(3) प्रशासक इन नियमों के प्रशासन के लिए लिखित आदेश द्वारा केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी को नामित कर सकता है।

4. डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषण-

(1) अधिनियम की धारा (25) के तहत विनिर्दिष्ट डीबीएन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से स्कीमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं को डीबीएन से वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

(2) डीबीएन के तहत वार्षिक संग्रह के प्रतिशत के रूप में निधियों का उपयोग, जैसा कि अधिसूचित किया गया है, अधिनियम की धारा (25) के उप-खंड (ख) के तहत विनिर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

(3) स्कीमों और परियोजनाओं के लिए डीबीएन से प्रदत्त वित्तपोषण की रूपरेखा प्रशासक द्वारा मामले के आधार पर निर्धारित की जा सकती है, जिसमें पूर्ण वित्तपोषण, आंशिक वित्तपोषण, सह-वित्तपोषण, बाजार जोखिम शमन, जोखिम पूंजी शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(4) डीबीएन समाज के अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त समूहों जैसे महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्कीमों और परियोजनाओं को निधि उपलब्ध कराएगा।

(5) डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं को करार में विनिर्दिष्ट अंतरालों और शर्तों के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी।

5. डीबीएन के तहत स्कीमों और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मानदंड –

डीबीएन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा किया जाएगा: -

(क) मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान और अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की प्रदायगी के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरण और दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ाना;

(ख) अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए दूरसंचार नेटवर्क का सृजन;

(ग) अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में नेक्स्ट जेनरेशन दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की शुरूआत;

(घ) अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में उन्नत दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना या सुधार लाना;

(ङ) अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की वहनीयता में सुधार;

(च) नवाचार, अनुसंधान और विकास, संवर्धन और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और संबद्ध बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही जहां भी आवश्यक हो नियामक सैंडबॉक्स का सृजन;

(छ) अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं और उनके मानकीकरण को पूरा करने के लिए प्रासंगिक मानकों को विकसित और स्थापित करना;

(ज) दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना;

(झ) दूरसंचार ईको-सिस्टम के क्षमता निर्माण और विकास के लिए शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप और उद्योग के बीच अंतर को कम करना;

(ञ) दूरसंचार सेवाओं के अभिगम में सुधार के लिए नए तकनीकी सॉल्यूशन सृजित करना और नई तकनीकों को तैनात करना;

(ट) दूरसंचार क्षेत्र में टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना; और

(ठ) आत्मनिर्भर भारत के लिए दूरसंचार विकास, दूरसंचार अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप और दूरसंचार अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने हेतु एक व्यक्ति को नियुक्त कर उसे वित्त उपलब्ध कराना।

(ड) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रशासक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य आवश्यक मानदंड।

6. डीबीएन के तहत स्थापित दूरसंचार नेटवर्क का साझाकरण

दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए डीबीएन से निधि प्राप्त करने वाला कोई भी डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता ऐसे दूरसंचार नेटवर्क और इस दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके जो भी दूरसंचार सेवाएँ प्रदान की जा रहीं हैं वह प्रशासक द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और बिना भेदभाव के साझा करेगा और उपलब्ध कराएगा।

7. डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता की चयन प्रक्रिया –

(1) डीबीएन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया **तालिका-क** के अनुसार होगी:

तालिका-क

क्र.सं.	**वित्तपोषण के क्षेत्र**	**चयन प्रक्रिया**
1.	अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच और प्रदायगी को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना जिसमें परामर्श तथा सलाहकारी सहायता भी शामिल है।	बोली प्रक्रिया
2.	अनुसंधान परियोजना और पायलट, सह-वित्तपोषण, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण और वाणिज्यिकरण के लिए जोखिम पूंजी तक सीमित न रहते हुए इनके माध्यम से नई और उभरती हुई दूरसंचार प्रौद्योगिकियों/उत्पादों/सेवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना।	आवेदन

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित किसी बात के बावजूद, प्रशासक, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, किसी विशेष परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए, डीबीएन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में परियोजनाओं और स्कीमों के निष्पादन के लिए नामांकन द्वारा डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता का चयन कर सकता है।

[फा. सं. डीओटी/यूबीबी/2024-1/दूरसंचार अधिनियम 2023-नियम]

देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATION

(Department of Telecommunication)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2024

G.S. R. 365(E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 26 read with clause (x) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunication, Ministry of Communication, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi–110 001;

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title, commencement and savings. –

(1) These rules may be called the Telecommunications (Digital Bharat Nidhi) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall be in supersession of rules 523 to rule 527 of the Indian Telegraph Rules, 1951, but shall not override the terms and conditions of existing arrangements under those rules till the date of expiry of such arrangement.

2. Definitions. –

(1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "**Act**" means The Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "**administrator**" means the administrator of the DBN appointed by the Central Government for the administration of the DBN;

(c) "**agreement**" means a contractual agreement made between the administrator, and one or more DBN implementer to implement schemes and projects for the purpose of achieving the objectives of the DBN;

(d) "**application**" is a process of selecting a DBN implementer through a call for proposals on the basis of technical feasibility;

(e) "**bidding**" is a means of selecting a DBN implementer for procurement of goods and or services or execution of works by obtaining bids by following any of the standard methods as per guidelines in vogue;

(f) " **DBN**" means the Digital Bharat Nidhi established under sub-section (1) of section 24 of the Act;

(g) **"DBN implementer**" means any person with whom the administrator has entered into an agreement; and

(h) "**objective**" means any or all of the objectives mentioned in the clause (a) to (d) under section 25 of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. Powers and Functions of the administrator

(1) To achieve the objective of the DBN, the administrator shall select DBN implementers through the process of bidding or inviting applications from eligible persons as set forth in Rule 7 (1), or through the process of nomination as set forth in Rule 7(2).

(2) The administrator shall have the following powers and functions: -

(a) formulating the procedures for bidding, including its terms and conditions, format of application, eligibility criteria and evaluation criteria for selection of DBN implementers pursuant to such bidding.;

(b) formulating eligibility criteria and procedure for inviting and evaluating applications for selection of DBN implementers;

(c) enter into agreement with DBN implementers;

(d) settling claims and disburse funds from the DBN to the DBN implementer;

(e) settle disputes with DBN implementer through mediation, arbitration, conciliation or judicial proceeding as may be provided for in the agreement;

(f) monitoring, evaluating or verifying the work done by the DBN implementer, through any competent body including any third-party agencies;

(g) specifying procedures and records, along with formats, to be maintained and furnished by DBN implementer;

(h) engaging person(s) including consultant(s), advisor(s) or an entity for the purpose of planning, formulation, contract management, midterm review, verification, monitoring, financing, evaluation, impact assessment and management of schemes and projects;

(i) specifying terms and conditions relating to the assets created from the funds disbursed from the DBN;

(j) undertaking pilot study, pursuant to achieving the objective of the DBN;

(k) creating a digital portal to enable DBN implementers and other stakeholders to provide services, facilitate interaction, reporting and monitoring of schemes and projects; and

(l) performing such other functions as may be assigned by the Central Government for the purposes of achieving objective of the DBN.

(3) The Administrator may, by order in writing, designate any officer of the Central Government, for the administration of these Rules.

4. Funding from the Digital Bharat Nidhi. –

(1) Funding from the DBN shall be provided to DBN implementers to implement schemes and projects for the purpose of achieving the objectives of the DBN as specified under section (25) of the Act.

(2) Funds, in terms of a percentage of annual collection under the DBN, as notified, shall be utilized for achieving the objective specified under sub-clause (b) of the section (25) of the Act.

(3) Modalities for funding provided from the DBN for schemes and projects, may be determined by the administrator on a case to case basis, including but not limited to full funding, partial funding, co-funding, market risk mitigation, risk capital.

(4) DBN shall fund schemes and projects for providing targeted access to telecommunication services for underserved groups of the society such as women, persons with disabilities and economically and socially weaker sections.

(5) Funds shall be released to the DBN implementers in a manner, at such intervals and conditions, as may be specified in the agreement.

5. Criteria for undertaking schemes and projects under the DBN. –

The schemes and projects for the purpose of achieving the objectives of the DBN, shall meet one or more of the following criteria: -

(a) provisioning of telecommunication services, including mobile and broadband services, and telecommunication equipment required for delivery of telecommunication services and enhance telecom security in underserved rural, remote and urban areas;

(b) creation of telecommunication network for provisioning of telecommunications services, including mobile and broadband services, in underserved rural, remote and urban areas;

(c) introduction of next generation telecommunication technologies in underserved rural, remote and urban areas;

(d) providing or improving access to advanced telecommunication services in underserved rural, remote and urban areas;

(e) improve affordability of telecommunication services in underserved rural, remote and urban areas;

(f) promote innovation, research & development, promotion and commercialization of indigenous technology development and associated intellectual property, including creation of regulatory sandboxes where necessary;

(g) develop and establish relevant standards to meet national requirements and their standardization in international standardization bodies;

(h) encourage Start-ups in the telecommunications sector;

(i) create bridge between the academia, research institutes, start-ups, and industry for capacity building and development of the telecom ecosystem;

(j) create new technological solutions and deploy new technologies for improving access to telecommunications services;

(k) promote sustainable and green technologies in telecommunications sector; and

(l) establish and fund a person to promote telecommunications growth, telecommunications R&D, standards, Start-ups and telecom manufacturing facilities towards Atmanirbhar Bharat

(m) such other criteria as determined by the administrator as necessary to meet the objectives of the Act.

6. Sharing of Telecommunication networks established under the DBN.

Any DBN implementer receiving funding from the DBN for establishing, operating, maintaining, or expanding a telecommunication network shall share and make available such telecommunication network, and telecommunication services being delivered using such telecommunication networks on an open and non-discriminatory basis, and in accordance with the instructions issued from time to time by the administrator.

7. Selection process of DBN implementer. –

(1) The process for selection of DBN implementers for the purposes of achieving the objectives of the DBN, shall be in accordance with **Table-A**:

Table-A

S. No.	Area of funding	Selection Process
1	Promote and support Telecommunication services for promoting access to and delivery of established telecommunication services in underserved rural, remote and urban areas, including consultancy assistance and advisory support	Bidding
2	Promote and support Research and development of new or emerging telecommunication technologies/products/services through, but not limited to, research projects and pilots, co-funding, viability gap funding, and risk capital upto to commercialisation.	Application

(2) Notwithstanding anything stated in sub-rule(1), the administrator may, for reasons to be recorded in writing, to address any special circumstances, select a DBN implementer by nomination for the execution of projects and schemes in furtherance of the objectives of the DBN.

[F. No. DoT/UBB/2024-1/TelecomAct2023-Rules]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.07.04 21:36:00 +05'30'